न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03/2018 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 02.02.2018
G.C.M.S. NO. :- 2018/00006

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

श्री रसीद मोहम्मद पिता सफी मोहम्मद जाति मुसलमान, निवासी सेमलिया, तहसील बडीसादडी हाल मुकाम सांगरिया मजरा सरदार खां जी का खेड़ा, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर बडीसादडी मि. न. –/89 आवंटन दिनांक 29.09.89

उपस्थितिः–1– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 07.08.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के पेश कर निवेदन

किया कि मौजा सरदारपुरा की आराजी नम्बर 02 रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि विपक्षी श्री रसीद मोहम्मद पिता सफी मोहम्मद मुसलमान निवासी सेमलिया के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि के पुराने आराजी नम्बर 34/1 रकबा 1 बीघा भूमि है जो कि तत्कालीन सहायक कलक्टर, बडीसादडी द्वारा जरिये मिसल नम्बर -/89 से दिनांक 29.09.89 को आवंटित की जो जरिये नामान्तरण संख्या 184 दिनांक 03.10.89 से विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज की गई। उक्त गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर विपक्षी का कभी भी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है तथा न ही विपक्षी ने आवंटन नियमों की पालना की। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ। अतः विपक्षी के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। संबंधित भू आवंटन पत्रावली तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा ने कमेटी द्वारा गहन तलाशी के बाद भी पत्रावली नहीं मिल पाने के कारण तलबीदा पत्रावली भिजवाया जाना सम्भव नहीं होना बताया। अतः बहस प्रकरण राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की है तथा आवंटित भूमि पर कभी भी विपक्षी का कब्जा नहीं रहा एवं मौके पर वर्तमान मे भी उक्त भूमि पर किसी का कब्जा नहीं है तथा न ही काश्त की जा रही है। अतः आवंटन निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार तत्कालीन सहायक कलक्टर, बडीसादडी द्वारा विपक्षी को ग्राम सरदारपुरा की बिलानाम आराजी संख्या 34/1 रकबा 1 बीघा भूमि का आवंटन गैर खातेदारी हक से किया गया जो जरिये नामान्तरण संख्या 184 दिनांक 03.10.89 से श्री रसीद मोहम्मद पिता सफी मोहम्मद के नाम दर्ज किया जिसके नवीन आराजी संख्या 2 रकबा 0.22 हैक्टेयर बने जो कि मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। उक्त आराजी नम्बर 2 रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि

विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। लेकिन आवंटन के पश्चात् से उक्त भूमि पर विपक्षी का कभी कब्जा-काश्त नहीं रहा है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध पटवार हल्का लक्ष्मीपुरा के मौका पर्चा दिनांक 27.05.2017 से होती है।

पटवार हल्का लक्ष्मीपुरा ने अपने मौका पर्चा दिनांक 27.05.2017 में उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षी का कब्जा एवं काश्त नहीं होकर पड़त होना बताया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि विपक्षी का उसको गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर कभी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि पड़त पडी हुई है। विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है। निष्कर्षतः भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी, द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी को आराजी नम्बर 34/1 रकबा 1 बीघा (जिसके नवीन आराजी संख्या 2 रकबा 0.22 हैक्टेयर) का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)